न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/15/2018	20-03-2018	17-01-2019

01–गिरधारी,
02–हुकमचन्द पुत्रान हरगोविन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासीयान 170, गणेश गुवाड़ी, बुध विहार, अलवर तहसील व जिला अलवर राज।

–अपीलाण्ट

बनाम

01–नायब तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर राज।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ़ दिनांक 25.09.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 308/2017

उपस्थितः–
01–श्री कैलाश चन्द शर्मा –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 25.09.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम साहडोली की सरकारी बंजड़ 1 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 944/28.51 है0 के 1.22 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम साहडोली की सरकारी बंजड़ 1 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 944/28.51 है0 के 1.22 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 31.07.2017 को पटवारी द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अपीलार्थीगण के पिता हरगोविन्द को संवत् 2022 अर्थात् 1964–65 में आराजी खसरा नम्बर 1967 जो कि सिवायचक कस्टोडियन था में से 4 बीघा 17 बिस्वा का आवंटन हुआ था। जिनमें से कुछ लोगों को खातेदारी व गैर खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण का अपने बुजुर्गान से कब्जा चहा आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा एक दावा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ में पेश किया गया था जो दिनांक 08.12.2014 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां अपील की गई। जिसे स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी रामगढ को पुनः रिमाण्ड किया गया जो निर्णय 08.03.2018 को पारित किया गया। जिसके विरूद्ध नायब तहसीलदार रामगढ द्वारा अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुए दोषी करार दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 944 रकबा 28.51 है0 के 1.22 है0 वाके ग्राम साहडोली तहसील रामगढ जिला अलवर अपीलार्थीगण के हक विनियमन फरमाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 25.09.2017 के विरूद्ध दिनांक 16.03.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया एवं अपीलांट द्वारा पेश जमाबंदी संवत् 2035 का अवलोकन किया गया जिसमें हरगोविन्द पिता घमण्डी ब्राह्मण साकिन देह गैर खातेदार अलोटी अंकित है। अतः अपील

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

अपीलान्ट नायब तहसीलदार रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि रिकार्ड का भली–भांति परीक्षण करें। यदि अपीलांट अतिक्रमी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17–01–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)